राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— एफ.2 (क) (D-258/37) अलेसे— I/ 731 दिनांकः— 16.10.2018

आदेश

श्री धर्मी चन्द अरोड़ा, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी ने तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) दिनांक 19.03.2007 से स्वीकृत किये जाने हेतु अपना अभ्यावेदन निदेशालय में दिनांक 21.08.2018 को प्रस्तुत किया है।

श्री धर्मीचंद अरोडा ने लेखाकार पद पर दिनांक 19.03.1980 को कार्यग्रहण किया था। श्री अरोडा के तीसरी संतान **वैध पुनर्विवाह**, से दिनांक 17.12.2002 को उत्पन्न हुई है। श्री अरोडा के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने के कारण तृतीय एसीपी नियत समय दिनांक 19.03.2007 से पॉच वर्ष पश्चात् दिनांक 19.03.2012 से विभागीय आदेश संख्या 231/2012—13 दिनांक 06.12.2012 द्वारा स्वीकृत की गई थी। वित्त विभाग के पत्रांक प.2(39)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 12.02.2014 से प्राप्त मार्गदर्शन, जिसमें दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न होने पर एसीपी का लाभ देय नहीं है, के कम में विभागीय आदेश संख्या 411/2013—14 दिनांक 04.03.2014 द्वारा उक्त स्वीकृत एसीपी को प्रत्याहारित किया गया।

श्री अरोडा ने तृतीय एसीपी, लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि दिनांक 19.03.1980 से 27 वर्ष पश्चात् दिनांक 19.03.2007 से स्वीकृत किये जाने हेतु एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 17033/2018 श्री धर्मीचंद अरोडा बनाम सरकार माननीय उच्च न्यायालय में दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.08.2018(प्रति संलग्न) को निर्णय पारित किया है, की याची अपने पैतृक विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसे विभाग द्वारा उचित कारणों के आधार पर स्पीकिंग आदेश से अभ्यावेदन प्राप्ति तिथि से दो माह में निस्तारित किया जावें।

श्री अरोडा को निदेशालय द्वारा वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के ज्ञापन दिनांक 24.07.2017 (प्रति संलग्न) के प्रावधानों के तहत तृतीय एसीपी दिनांक 01.04.2015 से विभागीय पत्र कमांक 242 दिनांक 18.05.2018 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा जारी वर्तमान में प्रचलित प्रावधानों के तहत ही नियमानुसार तृतीय एसीपी स्वीकृत की गई है। अतः अरोडा के अभ्यावेदन को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः— एफ.2 (क) (D-258/37) अलेसे— I/ 731 दिनांकः— 16.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. श्री धर्मीचंद अरोडा, (सेवानिवृत्त लेखाधिकारी) म0 नं0 4/27 साकेत नगर, हाऊसिंग बोर्ड, ब्यावर, जिला अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक— I)